झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित
2005

झारखण्ड विधान मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खंड-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 का संशोधन ।
3. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3(ख) का संशोधन ।
4. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3(ड.) का संशोधन ।
5. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3(क्ष) का संशोधन ।

झारखण्ड विधान मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड विधान मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (56वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्लिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**-(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-3(ख) में शब्द क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह के बाद अंक "4000/-" के स्थान पर अंक "8000/-" एवं प्रकोष्ट के अन्दर के शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-03(ख) में अंक एवं शब्द "5000/-(पाँच हजार)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "8000/- (आठ हजार)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 की उपधारा (ड.) का संशोधन**--उक्त धारा के तृतीय पंक्ति में शब्द "होगा ।" के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायेंगे--
   "हवाई यात्रा एवं जल पोत से यात्रा करने के समय नेता विरोधी दल के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी" ।

5. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-03 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-3(क्ष) में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द में "रुपये 2000/-(दो हजार रुपये)" के स्थान पर "रुपये 3000/-(तीन हजार रुपये)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।